झारखंड सरकार,
कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अ धि सू च ना

रांची, दिनांक 31 जुलाई, 2001.

संख्या-7/वि0वि0प्र0- 5011/2001 का0 2496 / बिहार पुनर्गठन अधिनियम -2000 (2000 का अधिनियम संख्या- 30) के भाग- II की धारा-3 के अधीन दिनांक -15 नवम्बर, 2000 से झारखंड राज्य को स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आ जाने के फलस्वरूप , के साथ ही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा-जे. टी.- 1997(7) एस. सी.-384 में निदेशीत सिद्धान्तों के अनुरूप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अभिव्यक्त मार्ग दर्शन को कार्यान्वित करने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के साथ बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा-85 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत झारखंड राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाने पर कि लोकहित और राज्यहित में ऐसा करना आवश्यक है, " बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 " को अद्यतन संशोधनों एवं यथावश्यक परिवर्तन सहित (Mutati Mutamdis) इसे एतद् अधिसूचना द्वारा अंगीकृत किया जाता है ।

1. इस नियमावली में (यथा संशोधनों के साथ) वैसे प्रत्येक स्थान पर अन्तर्विष्ट जहाँ कहीं भी "बिहार", "बिहार राज्य ", "राज्य सरकार " या "पटना" शब्दों का प्रयोग किया गया है, वहाँ उन सभी प्रत्येक स्थानों पर क्रमशः ." झारखंड," "झारखंड राज्य," "झारखंड सरकार" या "रांची" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है ।

2. "सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 " के नियम-"3" के पश्चात्- 3 (ए)(i), एवं (ii) की प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएगी, जिसे झारखंड राज्यपाल, दिनांक 28 वीं जुलाई, 2001 से संशोधन करते हैं, यथा :-

" संशोधन "

<u>नियम 3(ए)(i) एवं (ii)</u>-कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़नादि निषेध-

(i) कोई भी सरकारी सेवक, कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ यौन उत्पीड़न या यातना संबंधी ऐसे किसी भी जघन्य कार्य में संलिप्त नहीं होगा ।

(ii) वैसे प्रत्येक सरकारी सेवक, जो कहीं किसी कार्यस्थल का प्रभारी है, वहाँ पर किसी भी महिला/कामकाजी महिला के साथ यौन उत्पीड़न या यातना को रोकने हेतु सार्थक कदम उठायेगा ।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनार्थ " यौन उत्पीड़न" से अभिप्रेत प्रत्यक्षतः, या अन्यथा वासनात्मक कार्यों से प्रेरित किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी अभद्र, अश्लील और अशोभनीय व्यवहार शामिल है, जैसे कि -

(क) शारीरिक स्पर्श, अथवा कामोदीप्त, कामोत्तेजित प्रणयात्मक चेष्टाएँ,

(ख) . यौन स्वीकृति की माँग या प्रार्थना,

(ग) काम वासना से उत्प्रेरित कामोत्तेजित फब्तियाँ,

(घ) किसी प्रकार का कामोत्तेजक व्यवहार, अश्लील साहित्य या सामग्रियों का प्रदर्शन अथवा यौन संबंधी किसी भी प्रकार का अन्यान्य, मौखिक या सांकेतिक, जो भी हो, अशोभनीय शारीरिक चेष्टाएँ या आचरण ।

उपरोक्त अंकित संशोधनों को, इस नियम से अन्यथा कोई विपरीत बात न हो, इस हद तक संशोधित समझा जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 30 जुलाई, 2001 से प्रभावी होगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

30-7-2001

(एस0 के0 चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/वि0वि0प0-5011/2001 का0 2496/रांची, दिनांक 31 जुलाई, 2001

. प्रतिलिपिः- सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/एवं सचिव झारखंड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30-7-2001

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/वि0वि0प0-5011/2001. का0 2496/रांची, दिनांक 31 जुलाई, 2001.

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महानिबन्धक, उच्च न्यायालय झारखंड/महाधिवक्ता, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30-7-2001

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/वि0वि0प0-5011/2001 का0 2496/रांची, दिनांक 31 जुलाई, 2001

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा। [illegible] जानकारी के प्रयोजनार्थ इसे "झारखंड गजट" के "असाधारण " अंक में मुद्रित कर प्रकाशित किया जाए, जिसकी 50 प्रतियाँ विधि विभाग एवं 250 प्रतियाँ इस विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए ।

30-7-2001

नरेश/ सरकार के सचिव ।